प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 25.06.2025

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 30.01.2025 को थाना भोजपुर पर डा0 देवीलाल नोडल चिकित्सा अधिकारी गाजियाबाद द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियुक्त 1. डा0 मौ0 सद्दाम पुत्र जुल्फकार अली निवासी मुरलीपुर गुलाब रोहटा रोड थाना रोहटा जनपद मेरठ उम्र करीब 29 वर्ष 2. डा0 अश्वनि पुत्र स्व0 कृष्णपाल सिंह निवासी ग्रीन विलेज सुपरटेक फ्लैट नं0 डी-104 मेरठ उम्र करीब 25 वर्ष 3. साजिद पुत्र फारुख निवासी ग्राम नाहली थाना भोजपुर गाजियाबाद 4. परवेज पुत्र जमील निवासी ग्राम नाहली थाना भोजपुर गाजियाबाद 5. डा0 ताज 6.डा0 सीबा के विरुद्ध धारा 15(2)/15(3)/इण्डियन मेडिकल काउन्सिल एक्ट 1956 व धारा 30 संयुक्त प्रान्त चिकित्सा अधिनियम 1917 व धारा 318(4) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 118(2)/336(2)/340(2)/61(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

दिनांक 24.06.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तों 1. डा0 मौहम्मद सद्दाम पुत्र जुल्फकार अली निवासी मुरलीपुर गुलाब रोहटा रोड थाना रोहटा जनपद मेरठ उम्र करीब 29 वर्ष 2. डा0 अश्वनि पुत्र स्व0 कृष्णपाल सिंह निवासी ग्रीन विलेज सुपरटेक फ्लैट नं0 डी-104 मेरठ उम्र करीब 25 वर्ष को जनपद बुलन्दशहर नुमाइश ग्राउण्ड से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि हम लोग अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर बस अड्डा किल्हौडा थाना भोजपुर गाजियाबाद में बिना रजिस्ट्रेशन के फर्जी तरीके से एक नर्सिंग होम चलाते थे जिसमें एक महिला की धोखाधडी से बच्चेदानी निकाल ली थी।

अभियुक्तगण के नाम व पता -

1. डा0 मौहम्मद सद्दाम पुत्र जुल्फकार अली निवासी मुरलीपुर गुलाब रोहटा रोड थाना रोहटा जनपद मेरठ उम्र करीब 29 वर्ष।
2. डा0 अश्वनि पुत्र स्व0 कृष्णपाल सिंह निवासी ग्रीन विलेज सुपरटेक फ्लैट नं0 डी-104 मेरठ उम्र करीब 25 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना भोजपुर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित बाल अपचारी अभिरक्षा में लिया गया।

दिनांक 21.06.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि वादी की पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष को बाल आपचारी द्वारा शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाना तथा पीडिता का बाल आपचारी के चुंगल से निकलकर वापस लौटकर घर आना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर पर तत्काल धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीडिता का मेडीकल परीक्षण कराया गया । तत्पश्चात मेडिकल रिपोर्ट व पीडिता के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 64(2)(झ) बीएनएस व 5 (ञ)(ii)/6 पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

आज दिनांक 25.06.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले बाल आपचारी को अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

बाल अपचारी ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं और पीडिता दोनो एक ही मौहल्ले में रहते हैं तथा हमारी आपस में बातचीत होती रहती थी। मैं मौका पाकर पीडिता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

बाल अपचारी के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभिरक्षा में लेने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद।

आज दिनांक 25.06.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त अमन पुत्र खालिद निवासी लक्ष्मी गॉर्डन नीयर जामा मस्जिद के पीछे वाली गली लोनी थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर आयुध अधिनियम की धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं यह अवैध तमंचा लोगों को अपना रोब दिखाने के लिये रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अमन पुत्र खालिद निवासी लक्ष्मी गॉर्डन नीयर जामा मस्जिद के पीछे वाली गली लोनी थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

01 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर मारपीट का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा उपरोक्त प्रकरण के संबंध में आयुध अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा संगठित होकर अवैध मादक पदार्थ गांजा की बिक्री करने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 02 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा व 2270/- रूपये बरामद।

दिनांक 24.06.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया गया जिसमें थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर संगठित होकर अवैध मादक पदार्थ गांजा की बिक्री करके आर्थिक लाभ कमाने वाली शातिर अभियुक्ता राखी पत्नी स्व0 अजय सिंह निवासी गली नम्बर-02 राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 02 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा व 2270/- रूपये बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर सुसंगत धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट व धारा 111 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्ता ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं पिछले करीब 06-07 वर्षों से चोरी छिपे आस-पास की कॉलोनियों में अवैध शराब व गांजा की बिक्री करती हूँ। मैं पूर्व में आबकारी अधिनियम व एनडीपीएस एक्ट के मुकदमों में जेल भी जा चुकी हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

राखी पत्नी स्व0 अजय सिंह निवासी गली नम्बर-02 राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 48 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 02 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा व 2270/- रूपये बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्ता राखी के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर पूर्व से आबकारी अधिनियम के 06 अभियोग व एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत हैं तथा उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। (कुल अभियोग -08)। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण, घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 02 मोबाइल फोन बरामद।

आज दिनांक 25.06.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादी श्री आकाश राज निवासी संदीप एन्क्लेव बहरामपुर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद द्वारा अज्ञात चोर द्वारा मोबाइल फोन चोरी कर लेने के सम्बन्ध में सूचना दी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व मैनुअल इन्पुटस के आधार पर उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण 1. परवेन्द्र पुत्र श्रीचन्द सिंह निवासी लट्ठमार कॉलोनी अम्बेडकर पार्क के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष 2. चिन्टू पुत्र वीरपाल निवासी डी ब्लॉक सिद्धार्थ विहार बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष 3. अमित पुत्र राजवीर निवासी गली नं0-03 बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष को प्रज्ञा विहार अम्बेडकर पार्क बहरामपुर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी के 02 मोबाइल फोन बरामद हुए। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ करने पर अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि हमने संदीप एन्कलेव बहरामपुर स्थित एक घर से 01 मोबाइल चोरी किया था तथा दूसरा मोबाइल भी वहीं पास के क्षेत्र से चोरी किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1. परवेन्द्र पुत्र श्रीचन्द सिंह निवासी लट्ठमार कॉलोनी अम्बेडकर पार्क के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष।
2. चिन्टू पुत्र वीरपाल निवासी डी ब्लॉक सिद्धार्थ विहार बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष ।
3. अमित पुत्र राजवीर निवासी गली नं0-03 बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त चिन्टू उपरोक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर चोरी का माल बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग व थाना विजयनगर पर चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत हैं। (कुल अभियोग- 04)

अभियुक्त अमित के विरुद्ध थाना विजयनगर पर चोरी, अवैध अस्लाह से सम्बन्धित 07 अभियोग तथा गैगंस्टर एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है। (कुल अभियोग- 09)।

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी के 02 मोबाइल फोन बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।